न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 46/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
केवला पुत्र समरथा जाति माली निवासी नया मौरसीम, तहसील बागोडा		1 मूंगाराम पुत्र समरथाजी 2 भूदरा पुत्र भारताजी 3 भीखा पुत्र भारताजी 4 मु. फाउ बेवा भारताजी 5 धुकाराम पुत्र रामजी 6 होतीराम पुत्र रामजी 7 नारणा पुत्र रामजी 8 भोमा पुत्र रागाजी 9 दरगा पुत्र रागाजी जातिगण माली निवासीगण नया मौरसीम तहसील बागोडा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.12.2017

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 6/2015 मूंगाराम बनाम भुदरा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम नया मौरसीम तहसील बागोडा के खसरा नम्बर 145, 957, 958, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1302, 1381, 1382, 1386 व 1387 कुल खसरा 17 जिसका कुल रकबा 13.46 हैक्टेयर की भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट मूंगाराम द्वारा भुदरा वगैरा के विरूद्ध विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संक्षिप्त पेशीयां देते हुए अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प मौरसीम में अपीलाण्ट की सहमति लिए बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आपसी मिलावट कर विभाजन का वाद प्रस्तुत किया तथा अपीलाण्ट को जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नही किया। उक्त वाद में दो पटवार हल्को के अलग अलग गांवों की भूमि के सम्बन्ध में विभाजन कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट एवं समस्त रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मौजा नया मौरसीम के खसरा नम्बर 144 रकबा 1.46 हैक्टेयर की भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बेचान हडमतसिंह वगैरा के पक्ष में दिनांक 10.09.1993 को किया जा चुका है, किन्तु रेस्पोडेन्ट भुदरा वगैरा के प्रभाव के चलते उन लोगों ने प्रतिफल की राशि समरथाजी के वारिशान द्वारा ही लिया जाना अपने वाद पत्र में उजागर किया तथा मातहत अदालत द्वारा भी विभाजन में इसी तरह के तथ्य उजागर किये है। मातहत अदालत द्वारा उक्त विक्रित भूमि को भी शामिल करते हुए जैर निगरानी आदेश पारित किया है, जबकि उक्त भूमि खातेदारान के खाते में दर्ज ही नही थी। अपीलाण्ट के हिस्से में अगर दोनो गांवों की आराजी को मिलते हुए भी बंटवाडा किया जाता है, तो 1.90 हैक्टेयर भूमि आती है, जबकि प्रस्तावित बटवाडा में अपीलाण्ट का 2.25 हैक्अेयर का 1/2 अर्थात 1.1250 हैक्टेयर भूमि का लेना तय किया है, जो अपीलाण्ट के हिस्से में कम आई हे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी से रेस्पोडेन्ट के प्रभाव में आकर जैर निगरानी निर्णय पारित किया है। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा किया गया, जिसमें पक्षकारान द्वारा समस्त तथ्य स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन करने हेतु सहमति प्रदान करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सहमति से डिक्री जारी की गई। इससे पूर्व दोनो पक्षों की उपस्थिति में मौका देखा गया है। अपीलाण्ट द्वारा जवाब हेतु 7 अवसर प्राप्त करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही किया, जिसके कारण जवाब का अवसर बन्द किया गया। मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा किया गया है। जो भूमि विक्रय की गई है, उसका पैसा हमकों मिला है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कम ज्यादा भूमि का है, जो आपसी सहमति से किया गया है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि का बंटवाडा नही करवाने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत कर मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतः विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम नया मौरसीम तहसील बागोडा के खसरा नम्बर 145, 957, 958, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1302, 1381, 1382, 1386 व 1387 कुल खसरा 17 जिसका कुल रकबा 13.46 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन कर भूमि राजस्व रेकर्ड में पृथक से तरमीम कराते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 को अपीलाण्ट के हक हिस्से की भूमि में दखल अन्दाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सम्मन जारी किये तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये। इसके पश्चात दिनांक 31.05.2016 को दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा मौके पर उपस्थित होकर पटवारी एवं भू0अ0नि0 के द्वारा प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करवाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

लोक अदालत का उद्देश्य ही होता है कि पक्षकारान के मध्य समझौते के आधार पर त्वरित न्याय का सम्पादन किया जा सके। हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा ग्राम नया मौरसीन व खारवा में ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें अपीलाण्ट केवला पुत्र समरथाजी के सगे भाई मूंगा द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी दोनो पक्षकारान के वकीलों द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 6/2015 मूंगाराम बनाम भुदरा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली